

मौरठ विकास प्राधिकरण

की

37वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 23-1-89

का

कार्यपुस्तक

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 23-1-89

समय : प्रातः 11 बजे

आवश्यक स्थान :

कार्यवाही का स्थान स्थानीय बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से दर तय करने का

लिंग ३ उपस्थिति :

१- श्री वी० केंद्रीवान	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
२- श्री अनिल कुमार सिंह	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ। सौलंकी	उपाध्यक्ष
३- श्री विजय शर्मा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
४- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव, आवास, लखनऊ।	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-1-89 का कार्यवृत्त।

कार्यवृत्त का विवरण

मद संख्या -1

दिनांक 7-10-88 की बैठक के कार्यवृत्त की अध्यक्ष महोदय द्वारा पुष्टि की गयी।

मद संख्या -2

दिनांक 21-5-88 की अनुपालन आख्या।

मद सं० - 1

मेरठ दिल्ली बाईपास मार्ग पर ग्राम परतापुर बराल, सुन्दरापुर पूठा मलियाना व डुँगरावली में प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान।

चूँकि मेरठ महायोजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है अतः इस समय इसके भूउपयोग के सम्बन्ध में किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

महायोजना के पुनरीक्षण के समय इसके भूपतयोग पर तदनुसार विचार किया जायेगा ।

हापुड रोड पर बस स्टेन्ड की व्यवस्था ।

अध्यक्ष महोदय ने अब तक की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया । आवास विकास परिषद से सम्पर्क कर भूमि का कब्जा लेकर तुरन्त निर्माण कार्य किया जाये तथा स्थानीय बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से दरें तय कर ली जायें ।

मद सं०- 2(4)

पल्लवपुरम आवासीय योजना में निर्माणाधीन व्यवसायिक केन्द्र की नीलामी ।

पल्लवपुरम आवासीय योजना में निर्मित व्यवसायिक केन्द्र में जो दूकानें बनायी गयी हैं, उनको नीलाम करते समय यह भी देख लिया जाये कि अलग-अलग प्रयोजन हेतु दूकान नीलाम की जाये ताकि एक आदर्श कालोनी बन सके ।

मद सं- 2(5)

प्राधिकरण के कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि ।

उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि अन्य विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण अग्रिम दिया जा रहा है । इसी के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण में भी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम देने के आदेश दे दिये गये हैं । चूँकि अन्य विकास प्राधिकरणों में में भवन निर्माण अग्रिम दिया जा रहा है । अतः मेरठ विकास प्राधिकरण में भी भवन निर्माण अग्रिम दे दिया जाये तथा निर्णय से शासन को सूचित कर दिया जाये ।

मद सं०-11
शासन से प्राप्त आदर्श नियमावली को अंगीकार किया जाना ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की इस बैठक में मुख्य ग्राम नगर नियोजक उपस्थित नहीं हैं अतः यह प्रकरण आगामी बैठक जिसमें सी०टी०पी० भी उपस्थित हों, विचार विमर्श हेतु रखा जाये ।

मद सं०-10
रक्षापुरम आवासीय योजना में नाले व कैन्ट की सीमा के बीच की भूमि का भूउपयोग परिवर्तन ।

अर्जित की गयी भूमि में यह प्रदर्शित कर दिया जाये कि यह भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित कर ली गयी तथा यह सुनिश्चित कर दिया जाये कि इस भूमि पर अनाधिकृत निर्माण न हो तथा भूउपयोग पर परिवर्तन महायोजना के पुनरीक्षण के समय विचार किया जाये ।

मद सं०-12
ट्रांसपोर्ट एवं मंडी समिति क्षेत्र के जोनल प्लान संख्या -7 पर विचार ।

मेरठ महायोजना के पुनरीक्षण हेतु भौतिक सर्वे का कार्य आरम्भ हो चुका है । जोनल प्लान को मास्टन प्लान के साथ तैयार करके आपत्ति सुन ली जाये तथा यह तय कर लिया जाये कि कितना समय सर्वे में लगना है तथा कितना समय जोनल प्लान बनाने में लगना है तथा कितना समय आपत्ति में लगना है ।

मद सं०-13
जी०टी०रोड से पावली खास के रेलवे क्रासिंग के कच्चे मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में ।

इस कार्य की प्रगति हेतु साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जाये तथा आलू अनुसंधान केन्द्र की सडक निर्माण में आने वाली भूमि को रखरखाव हेतु देने

के लिये पत्र प्रेषित कर दिया जाये । जिन व्यक्तिगत भूधारकों की भूमि सड़क में आयी है, उनकी भूमि बातचीत के द्वारा दर तय कर प्राप्त कर ली जाये तथा इस कार्य की प्रगति हेतु साप्ताहिक समीक्षा की जाये ।

दिनांक 9-6-88 की बैठक की अनुपालन आख्या ।

मद सं०-३१

गढ रोड स्थित मेरठ खास की ३५ बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने का प्रस्ताव ।

प्राधिकरण की विकास नगर योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को रुकवाना सुनिश्चित किया जाये तथा सम्बन्धित अभियन्ता का अवैध निर्माण के लिये उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये । अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त की जाये और अनाधिकृत निर्माण की सूची भी बनायी जाये तथा यह भी देख लिया जाये कि स्थल को किस तरह से रेगुलेट (नियमित) किया जा सकता है ।

अर्जन

रक्षापुरम आवासीय योजना में दिसम्बर-1988 तक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना था जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है । इस कार्य को अबिलम्ब पूरा किया जाये तथा ए०डब्ल्यू०एच०ओ० को नियमानुसार आबंटित भूमि का कब्जा देने की कार्यवाही की जाये । योजना में उपलब्ध भूखण्डों का आबंटन दिनांक 15-2-89 तक पूरा कर लिया जाये ।

गंगानगर आवासीय योजना में तुरन्त पंजीकरण खोल दिया जाये और योजना में विकास कार्य को अबिलम्ब पूरा कर लिया जाये ।

पल्लवपुरम आवासीय योजना में एच०आई०जी०, एम०आई०जी० व ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण ३० जून, ८९ तक पूरा कर लिया जाये तथा आन्तरिक विकास कार्य भी पूरा करते हुए जलापूर्ति, विद्युत सप्लाई का कार्य भी पूरा कर लिया जाये ताकि जून-८९ तक समस्त भवनों में कब्जा दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके । इस योजना में बिजली के

सब-स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही पूरी की जाये। यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में विद्युत परिषद के रीजनल चीफ इंजीनियर के साथ बैठक भी आयोजित कर ली जाये।

पाण्डव नगर आवासीय योजना में जो भवन न्याय विभाग को आबंटित किये गये हैं उनसे पूरा पैसा अग्रिम के रूप में ले लिया जो। इस योजना में जिस ठेकेदार ने एम०आई०जी० एवं एल०आई०जी० का निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये और उसकी सूचना समस्त प्राधिकरणों में भेजी जाये तथा एच०आई०जी०, एम०आई०जी०, एल०आई०जी० व दुर्बल आय वर्ग के भवनों को तुरन्त शीघ्रतिशीघ्र पूरा करके कब्जे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भूमिया पुल आवासीय योजना की इकनॉमिक बायवेलिटी अवलोकित की गयी। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस आवासीय कालोनी का रख-रखाव सही तरह से हो।

विकास भवन का कम से कम भूतल किये पर उठाने की कार्यवाही की जाये तथा उसके सम्बन्ध में समाचार पत्र में किये पर उठाने हेतु विज्ञापन करा दिया जाये।

दिनांक 7-10-88 की बैठक की अनुपालन आख्या।

मद सं०-९

कैथोलिक डाईसिस चर्च ऑफ मेरठ के अधीन सैन्ट पीटर्स स्कूल के खसरा संख्या - 236 का समायोजन।

पूर्व बैठक दिनांक 7-10-88 के निर्णयानुसार इस प्रकरण में उपाध्यक्ष द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार खसरा सं०-236 पर इस संस्था का सेवा सदन के निर्माण से खेल-कूद बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र है। इनके द्वारा दिनांक 9-1-87 को एक भवन मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें सैन्ट पीटर्स स्कूल व चैरिटेबिल अस्पताल आदि प्रस्तावित है। चूँकि प्राधिकरण को इस भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उनसे कवर्ड क्षेत्रफल पर निर्धारित दर का 50 प्रतिशत विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये और भविष्य में इसे प्राधिकरण की योजना में समायोजित कर लिया जाये ।

मद संख्या -11

मेरठ महायोजना के एम-3 अर्थात् सक्सटेसिव इन्डस्ट्रीज नाम हजार डस भूउपयोग में छोटे भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने पर विचार ।

मेरठ दिल्ली मार्ग पर मौहकमपुर एन्क्लेब नाम से औद्योगिक उपयोग हेतु एक तलपट मानचित्र प्राधिकरण में जमा किया गया था जिसमें 200 से लेकर 400 वर्गगज का भूखण्ड प्रस्तावित है । महायोजना के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम से कम 1210 वर्गगज होना चाहिए । उपाध्यक्ष द्वारा बैठक दिनांक 7-10-88 के निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा पुनः स्थल का निरीक्षण किया गया है तथा उसके सन्त्रिकट यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा विकसित स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स में 250 वर्गगज के भूखण्ड का आबंटन किया गया है । अतः छोटे छोटे भूखण्डों का अनुमति का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है ।

मद सं०-12

मेरठ खास के खसरा नं०-3074 का भूउपयोग परिवर्तन पर विचार ।

बैठक दिनांक 7-10-88 में इस भूमि के निरीक्षण हेतु प्राधिकरण के सचिव स्थानीय अधिशासी अभियन्ता, हाईडिल स्थानीय एस०डी०एम० तथा वास्तविद नियोजक की कमेटी बनायी गयी थी । कमेटी के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट आगामी बैठक में रखी जाये ।

दिनांक 23-1-89 की बैठक की अनुपालन आख्या ।

मद सं०-३

भूमि अध्याप्ति हेतु हुड़को से ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

भूमि अध्याप्ति हेतु हुड़को से ऋण लेने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया हैं पूर्व में जो योजनायें बनायी गयी उनका सर्वे कर लिया जाये और यह देख लिया जाये कि क्या उनसे माँग उपलब्धता के रूप में है कि नहीं । इन योजनाओं में ऋण के प्रार्थना-पत्र हुड़को को भेज दिया जाये तथा ऋण प्राधिकरण की अनुमति के पश्चात लिया जाये । इस बीच योजनाओं की बाइबेलिटी भी ज्ञात कर लिया जाये ।

मद सं०-४

बाह्य विकास शुल्क की निर्धारित दरों पर पुनः विचार ।

बाह्य विकास शुल्क की निर्धारित दरों में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि आगरा, लखनऊ, बरेली एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से विकास शुल्क की दर प्राप्त कर ली जायें और उनका तुलनात्मक बनाकर आगामी बैठक जिसमें मुख्य ग्राम नगर नियोजक भी उपस्थित हो, रखा जाये ।

मद सं०-५

मेरठ की महायोजना का पुनरीक्षण एवं जोनल प्लान बनाने के लिये भौतिक सर्वेक्षण पर आने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन करना ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18-9-94 के अनुसार मेरठ महानगर की महायोजना का पुनरीक्षण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किया जाना है । सर्वेक्षण कार्यों हेतु श्रमिकों का भुगतान अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के यात्रा भत्ता आदि के भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाना है । इस हेतु अनुमानित व्यय एक लाख 70 हजार का विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया जाता है ।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राचीकरण में

मद सं०-६

गोपाल गौशाला की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

गोपाल गौशाला की भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । बैठक दिनांक ९-६-८८ में यह प्रस्ताव इसलिए निरस्त कर दिया गया था कि स्थल के निकट आवासीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ गौशाला बनाया जाना उचित नहीं है । मंत्री गौशाला द्वारा अवगत कराया गया कि इसके समीप क्षेत्रों में कोई प्रदूषण नहीं होगा । अथारिटी के सदस्य-जिलाधिकारी, मेरठ ने बताया कि उन्होंने स्थल देखा है और वर्तमान गौशाला स्थल पर बहुत अधिक कंजेशन है उनका मत था कि यदि उपरोक्त गौशाला से विकास शुल्क लेकर भूमि समायोजित कर ली जाती है तो दुग्ध विकास भी होगा और इस प्रोजैक्ट से कोई प्रदूषण निकट भविष्य में होने की आशंका नहीं है । चूँकि प्रश्नगत भूमि का विकास प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है अतः नियमानुसार विकास शुल्क लेकर प्राधिकरण की योजना में समायोजन कर लिया जाये ।

मद सं०-७

मेरठ विकास क्षेत्र की सीमाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव की औचित्यता न पाते हुए निरस्त किया गया है ।

मद सं०-८

अविकसित क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर देय विकास शुल्क में छूट का प्रस्ताव ।

शिक्षण संस्थाओं हेतु प्राधिकरण में दो भवन मानचित्र लम्बित हैं ।

1- इलैक्ट्रा विद्यापीठ ।

2- सनाधन धर्म शिशु मन्दिर, कंकरखेडा ।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत अच्छे शिक्षण संस्थाओं के निर्माण को उत्साहित करने हेतु उनसे विकास शुल्क में कमी किये जाना औचित्यपूर्ण हैं तदनुसार इलैक्ट्रा विद्या पीठ एवं सनातन धर्म शिशु मंदिर कंकरखेडा के मानचित्र निर्धारित दर के 50 प्रतिशत (कवर्ड क्षेत्रफल पर) ले लिया जाये तथा भविष्य में शिक्षण संस्थाओं के विकास व्यय में छूट प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरान्त ही दिया जाये ।

मद सं०-9

एल०पी०जी० गैस गोदाम के निर्माण पर विकास शुल्क में छूट के प्रस्ताव पर विचार ।

प्राधिकरण में इस समय एल०पी०जी० गैस गोदाम के दो मानचित्र लम्बित हैं :-

1- मानचित्र संख्या - 328/88 श्रीमती सीता राणा पत्नी स्व० मेजर तेजबहादुर राणा ।

2- मानचित्र संख्या - 392/87 श्रीमती कुक्कू भाटिया ।

मानचित्र सं०-328/88 श्रीमती सीता राणा का है जो कि बार विडो है । अतः इस प्रकरण में प्रार्थिनी के प्रति उदारता अपनाते हुए विकास शुल्क निर्धारित दर पर कवर्ड क्षेत्रफल पर न कि प्लिंथ एरिया पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

श्रीमती कुक्कू भाटिया के सम्बन्ध में यह पता कर लिया जाये कि क्या वह भी बार विडो है या नहीं और इसे पुनः आगामी बैठक में रखा जाये ।

मद सं०-10

रक्षापुरम आवासीय योजना में श्री शेरसिंह पुत्र श्री बारु सिंह को उनकी अर्जित भूमि खसरा सं०-141 ग्राम कसरु बक्सर में से 3000 वर्गमीटर भूमि दिये जाने का प्रस्ताव ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की रक्षापुरम आवासीय योजना में श्री शेरसिंह की कुल 56567.5 वर्गगज भूमि अर्जित की गयी है । श्री शेर सिंह के पास इस

भूमि के अतिरिक्त और कोई भूमि नहीं है। अर्जित की गयी भूमि खसरा सं०-141 की भूमि में एक फार्म हाउस तथा मवाना रोड पर दूकाने व घेर बने हैं। चूँकि प्रार्थी की सारी भूमि अर्जित की है। अतः इन्हें रक्षापुरम आवासीय योजना में 2000 वर्गमीटर भूमि कार्यालय काम्पलैक्स हेतु निर्धारित दर पर आबंटित कर दिया जाये।

मद सं०-11

पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत लायन्स क्लब मेरठ को लगभग 1500 वर्ग की भूमि को रियायती दरों पर आबंटित किया जाना।

लायन्स क्लब, मेरठ को 1500 वर्गमीटर भूमि पल्लवपुरम आवासीय योजना में रियायती दरों पर भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। लायन्स क्लब द्वारा यह भूमि चैरिटेबिल तथा डिस्पेंसरी तथा मेडीकल चैकअप हेतु माँग की है, लेकिन इस बिषय पर उनके द्वारा कोई भी प्रोजैक्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है।

मद सं०-12

गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल, मेरठ को मोदीपुरम आवासीय योजना में रियायती दर पर भूमि का आबंटन।

पल्लवपुरम आवासीय योजना में गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल को 6500 वर्गमीटर भूमि आबंटन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया है। गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल, मेरठ ख्याति प्राप्त स्कूल है। अतः पल्लवपुरम आवासीय योजना में गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल को शासनादेश सं०-7323/11-5-86-200 दिनांक 11-8-86 के अनुसार निर्धारित दरों पर 6500 वर्गमीटर भूमि इस शर्त के साथ आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया कि इंग्रीक्यूटिव कमेटी में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

मद सं०-13

विराट नगर योजना में साकेत रोड पर (बाग मदरसा) की अर्जित भूमि खसरा सं०-5536/8-7-0, 5537/0-10-0/10-9-2 कुल 19-6-2 बीघा के सम्बन्ध में विचार ।

विराट नगर आवासीय योजना में 5536/8-7-0, 5537/0-10-0/10-9-2 के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया । प्राधिकरण के अनुरोध पर शासन ने धारा-6 के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा दिनाँक 16-12-88 जारी की है । चूँकि धारा-6 की विज्ञप्ति केवल एक माह पूर्व प्राधिकरण की संस्तुति पर जारी किया गया है । अतः विचार विमर्श के पश्चात इस भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है ।

मद सं०-14

प्राधिकरण की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण की अर्जित भूमि में आने वाले तलपट मानचित्र को लीज रेन्ट के आधार पर समायोजन में व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए समायोजन के निर्णय पर पुनः विचार ।

विकास प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में आर्य नगर, मंगतपुरम, माडल टाऊन व मीनाक्षी एन्कलेब के तलपट मानचित्र को प्राधिकरण की योजनाओं में लीज के आधार पर समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था । प्राधिकरण के निर्णयानुसार लीज के आधार पर समायोजन में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है क्योंकि इन कालौनी की भूमि का पूर्व विक्रय किया जा चुका है । अतः समायोजन करने में एवं एक मुश्त विकास शुल्क जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई आ रही हैं क्योंकि इन कालौनी से सम्बन्धित भूमि का कब्जा भी प्राधिकरण को नहीं मिला है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि विकास शुल्क निर्धारित दर पर अलग-अलग भूखण्ड धारकों से ले लिया जाये ।

मद सं०-15

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत किये गये तलपट मानचित्र सं०- 138 (वैशाली कालौनी) तथा तलपट मानचित्र सं०-136 (मौहकमपुर इन्डस्ट्रीयल काम्पलैक्स) अवलोकनार्थ ।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 20-10-87 में वैशाली कालोनी की 33 बीघा भूमि अर्जन से मुक्त करने हेतु स्वीकृत किया गया था । बैठक दिनाँक 9-12-87 के निर्णयानुसार विकास शुल्क की दरें रु० 60/- प्रति वर्गमीटर की दर से सम्बन्धित कालोनाईजर को रु० 41,27,788/- (इकतालीस लाख सत्ताईस हजार सात सौ अठासी रुपये) जमा करने का पत्र भेजा गया । तलपट मानचित्र सं०-136 मैसर्स अग्रवाल एन्टरप्राइजेज द्वारा दिनाँक 15-6-86 को जमा किया गया था । इस तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में भी 60/- की दर से विकास शुल्क जमा करने का पत्र भेजा गया । परन्तु मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स ने बढ़ी हुई विकास दरों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और जिसमें उच्च न्यायालय ने तलपट मानचित्र में विना विकास शुल्क लिये स्वीकृत करने का आदेश दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तलपट मानचित्र में बिना विकास शुल्क लिये स्वीकृत कर दिया गया ।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 28-8-88 को निरस्त कराने की कार्यवाही की जाये ।

मद संख्या - 16

विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को संलग्न अनुसूची के अनुसार अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 17

बसन्त बिहार सहकारी गृह निर्माण समिति के खसरा सं०-399, 400, 392 व 395 की भूमि पर विचार ।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस भूमि को अर्जन से मुक्त किया जना उचित नहीं होगा । यदि समिति के सदस्य चाहें तो रक्षापुरम

आवासीय योजना में उन्हें निर्धारित दर पर उन्हें भूखण्ड आबंटित कर दिये जायें ।

अन्य विषय :-

रघुनाथ गल्स इन्टर कालिज, मेरठ के सुदृढीकरण के शुल्क में छूट के विषय में विचार ।

प्राधिकरण में रघुनाथ गल्स डिग्री कालेज का मानचित्र संख्या 183/87 लम्बित है जिसमें निर्धारित दरों के अनुसार रुपये 31,660/- सुदृढीकरण शुल्क देय होता है विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि रघुनाथ गल्स डिग्री कालेज, मेरठ से निर्धारित दर का 50 प्रतिशत (कवर्ड एरिया पर) सुदृढीकरण शुल्क ले लिया जाये ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया । धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आज की बैठक समाप्त हुई ।

अनुमोदित

ह०/-

(वी०के०दीवान)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।

**मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-1-89 के मद संख्या-16 का
संलग्नक ।**

क्र० सं०	मद का नाम	इस वित्तीय वर्ष माह में प्राविधान	दिस० वर्ष के शेष तीन आतिरिक्त 1988 तक व्यय महीनों में प्राप्ति धान अनु मानित स्वीकृति हेतु व्यय		
1	डाक/रसीदी टिकट/ टेलीफोन/जलकर/गृहकर	1.75	1.50	0.50	0.25
2	स्टेशनरी	0.75	1.05	0.30	0.60
3	विज्ञापन	1.50	1.60	0.30	0.40
4	विकास भवन का रखरखाव	1.50	4.30	0.70	3.50
5	वाहनों पर व्यय				
1-	मरम्मत	1.25	1.67	0.58	1.00
2-	पेट्रोल एवं अन्य तेल	1.20	1.23	0.37	0.40

अतः प्राधिकरण से अनुरोध है कि उपरोक्त मदों में तालिका के कालम-6
में दर्शायी गयी धनराशि को अतिरिक्त व्यय प्राविधान के रूप में स्वीकृति प्रदान
करने की कृपा करें ।